न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–808/2026
नितेश कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार
महिला थाना कांड संख्या–93/2025
अधीन धारा–126(2), 115(2), 352, 303(2), 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3/4।

22-05-2026 बार–बार पुकारने के बावजूद आवेदकगण **नितेश कुमार, सितेश कुमार, अंशु उर्फ निशा कुमारी, मीना देवी एवं गोविन्द सिंह** की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदकगण के इस अग्रिम जमानत आवेदन को दिनांक–16.03.2026 को दाखिल किया गया है। दिनांक–11.05.2026 से उक्त आवेदन को कोई प्रचारित नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि, इस अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करने में आवेदकगण की कोई अभिरूचि नहीं है। अतएव इस अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित नहीं किये जाने के कारण **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not official